राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक 01 JUN 2016

:: अधिसूचना ::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.02.2015 की निरन्तरता में समस्त पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार संबंधित जिला न्यायालयों के पारिवारिक प्रकरणों से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार तक बढाया जाता है एवं अधिसूचना दिनांक 05.02.2015 द्वारा जिला न्यायालयों को प्रदत्त पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार समाप्त किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षक।
8. समस्त पारिवारिक न्यायालय।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 कैलाश चन्द्र अटवसिया)
संयुक्त शासन सचिव